

समाहरणालय, जहानाबाद।

(जिला वाहन प्रबंधक कोषांग)

बिहार विधान सभा निर्वाचन-2015

महत्वपूर्ण सूचना

- (1) बिहार विधान सभा निर्वाचन-2015 के अवसर पर निर्वाचन कार्य सम्पन्न कराने के निमित्त जहानाबाद जिला में निर्बाधित/परिचालित विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक वाहन यथा जीप, मैजीक, सूमो, कार, बोलेरो, ट्रक, बस, मिनी बस, सिटी राईड, पिकअप भान, पियाजियो, विक्रम, मिनी डोर, टाटा-407, मैक्सी आदि की आवश्यकता है।
- (2) वैसे सभी वाहन मालिकों की अधियाचना आदेश निर्गत किये गये हैं। अगर उन्हें किसी कारण वश अधियाचना आदेश प्राप्त नहीं हुआ हो तो इस विज्ञप्ति को ही अंतिम अधियाचना समझा जाये।
- (3) विभिन्न प्रकार के वाहन निर्माकित तिथि के अनुसार वाहन को एस0एस0 कॉलेज, जहानाबाद अवस्थित वाहन प्रबंधन कोषांग, जहानाबाद में अचूक रूप से जमा करें :-

क्र0 सं0	वाहन जमा करने की तिथि	वाहन का प्रकार
1	2	3
1	09.10.2015	छोटे वाहन(LMV) यथा जीप, मैजीक, सूमो, कार, बोलेरो, ट्रक, बस, मिनी बस, सिटी राईड, पिकअप भान, पियाजियो, विक्रम, मिनी डोर, टाटा-407, मैक्सी आदि।
2	10.10.2015	बड़े वाहन यथा बस, ट्रक, मिनी ट्रक आदि।
3	12.10.2015	जहानाबाद जिला स्थित स्कूल के नाम निर्बाधित/अनुबंध/भाड़े पर लिये गये छोटी एवं बड़ी गाड़ी।

- (4) ट्रैक्टर स्वामी अपने वाहनों को प्रखण्ड मुख्यालय में दिनांक 12.10.2015 को जमा करेंगे।
- (5) आदेश उलंघन करने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 तथा मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
- (6) वाहन जमा करने के समय वाहन का निबन्धन पुस्तिका, चालक का चालक अनुज्ञप्ति की मूल/छाया प्रति एवं वाहन स्वामी का बैंक विवरणी(बैंक खाता की छाया प्रति) भी निश्चित रूप से जमा करना होगा।

(Handwritten Signature)

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-
जिला पदाधिकारी, जहानाबाद।